




को पेश है। 
S.D.O

17/10
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वैरीकार सरकार उपस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का
स्थगन होने से कार्यवाही पेडिग रखी जाती है।
पत्रावली वास्तु आगामी आदेश मा. रा. मं. अजमेर
व जवाब प्रा. पत्र (0)। (R)। 10 दी. प्र. स. दिनांक
17/11/2024 को पेश है। 
S.D.O

11
27/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वैरीकार सरकार उपस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का
स्थगन होने से कार्यवाही पेडिग रखी जाती है।
पत्रावली वास्तु आगामी आदेश मा. रा. मं. अजमेर
व जवाब प्रा. पत्र (0)। (R)। 10 दी. प्र. स. दिनांक
01/12/2024 को पेश है। 
S.D.O

03/12
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील
अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर खारिज किए जाने का निवेदन किया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। उक्त में माननीय न्यायालय
राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मी. के. त. रिकॉर्ड
की स्थायित्व के आदेश परितः, आगामी
आदेशों तक उक्त में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
द्वारा आगामी आदेश परितः होने तक पत्रावली

S.D.O

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

शर्या जरीय तहरील पार बालतभाटा बनाम कालु पिता गांगा शील

केसम मुकदमा इजराय नं० 08 सन् २०२३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>को को रर पर पेण्डिंग रखी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी अधिेश पारित होने तक पत्रावली को पेण्डिंग रखी जाकर फैसल सुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	